न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :- 94/2022

उनवान

1. मनोजकुमार पुत्र छीतरीमल जाति अहीर निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

2 फूलचन्द पुत्र नाथू
3 मीरा देवी पत्नि गोपाललाल
समस्त जाजि यादव निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा
4 बाबूलाल पुत्र घीसालाल प्रजापत जाति कुम्हार निवासी बिशनगढ तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरुस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 9-11-2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के [illegible] पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 779/3908 रकबा 0.11 है0, 779/2 रकबा 0.09है0, 779/1 रकबा 0.0678 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा मे स्थित है जो एक ही खसरा नम्बर से बंटवारा कर कायम किये गये है। तहसील के ऑफ लाईन में सही अंकित किये है लेकिन नक्शा की ऑनलाईन तरमीम करते समय खसरा नम्बर 779/1 की जगह ख0नं0 779/2 तथा ख0नं0 779/3908 की जगह ख0नं0 779/1 व ख0नं0 779/2 के स्थान पर ख0नं0 779/3908 भू प्रबन्ध विभाग के राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण अंकित कर दिया जो रिकार्डेड के अनुसार नहीं होने से काबिले दुरूस्त है । प्रार्थीगण शुरू से अपने हिस्से अनुसार पुख्ता तामीरात कर काबिज कास्त है परन्तु ऑनलाईन नक्शा तरमीम में गलत तरमीम होने से अनेक प्रकार की बाधाए उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर क्षेत्राधिकार नहीं होना बताया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ । अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ऑन लाईन नक्शा में हुई गल्ती को सही करके 779/2 के स्थान पर 779/1, 779/1 के स्थान पर 779/3908 व 779/3908 के स्थान पर 779/2 दर्ज किया जाकर दुरूस्ती फरमाई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करते हुए राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया तथा रिकार्ड में शुद्ध किये जाने की अभिशंषा करते हुए जवाब पेश किया गया । प्रकरण में पटवारी हल्का बिशनगढ ने रिपोर्ट में जाहिर किया राजस्व नक्शे की तरमीम के समय ख0नं0 779/1 जो पटवारी द्वारा सही अंकित किया गया था परन्तु आनलाईन करते समय सहवन से ख0नं0 779/2 कर दिया तथा ,ख0नं0 779/2 के स्थान पर ख0नं0 779/3908 किया गया है जो नामान्तकरण के पीछे अंकित नजरी नक्शे के आधार पर सही नहीं होना जाहिर करते हुए मुताबिक नजरी नक्शे के अनुसार 779/2 के स्थान पर 779/1 व 779/1 के स्थान पर 779/3908 तथा 779/3908 के स्थान पर 779/2 शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पाया गया कि ऑन लाईन नक्शे में तरमीम गलत की गई है जो दुरूस्ती योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 779/3908 रकबा 0.11 है0, 779/2 रकबा 0.09है0, 779/1 रकबा 0.0678 है0 वाके ग्राम बिशनगढ तहसील शाहपुरा का मुताबिक साबिक तकास्मा नामान्तकरण परत पर दर्ज नजरी नक्शे के अनुसार ऑन लाईन राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 9/11/2022 को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला जयपुर